

मत्स्याखेट हेतु जलाशय नीलामी बोली सूचना संख्या-8

राज्य में स्थित विभिन्न श्रेणी के मत्स्य विभाग के अधीन निम्नलिखित जलाशयों में मत्स्याखेट के अधिकार वर्ष 2017-18 से आवंटन हेतु नीलामी बोली आमन्त्रित की जाती हैं।

नीलामी बोली प्रपत्र मत्स्य विभाग, पशुधन भवन, टोंक रोड, जयपुर कार्यालय से कार्य दिवस में रुपये 400/- नकद/डी0डी0 देकर प्राप्त किये जा सकते हैं। बोलीदाता चाहे तो मत्स्य विभाग की वेबसाइट [www.fisheries.rajasthan.gov.in](http://www.fisheries.rajasthan.gov.in) एवं आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर की वेबसाइट [www.diprrajasthan.gov.in](http://www.diprrajasthan.gov.in) से टेण्डर फार्म डाउनलोड कर भेज सकता है, परन्तु डाउनलोड प्रपत्र के साथ नीलामी बोली शुल्क रुपये 400/- का बैंक ड्राफ्ट अमानत राशि के साथ पृथक से जमा कराना होगा। नीलामी बोली के साथ बोलीदाता को जलाशय की आरक्षित राशि की 10 प्रतिशत अमानत राशि ड्राफ्ट से जमा करानी होगी। अमानत राशि के अभाव में नीलामी बोली निरस्त योग्य होगी। अमानत राशि आयुक्त, मत्स्य विभाग, जयपुर के पक्ष में देय होगी। नीलामी बोली दिनांक 17.01.2018 को दोपहर 1.00 बजे तक विक्रय तथा दोपहर 2.00 बजे तक जमा की जाएगी तथा उसी दिनांक को दोपहर 2.30 बजे उपस्थित बोलीदाताओं या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएगी। नीलामी बोली की विस्तृत शर्तें, अमानत राशि का विवरण वेबसाइट पर अथवा कार्यालय में सम्पर्क कर देखा जा सकता है। नीलामी बोली से संबंधित सभी अधिकार आयुक्त मत्स्य के पास सुरक्षित रहेंगे।

क्र.सं.	जलाशय का नाम	वर्ष 2017-18 के लिए निर्धारित आरक्षित राशि (लाख रुपये में)
1	बंध रामगढ़ मय नदी बाणगंगा अस्थल की पुलिया तक (जयपुर )	5.00
2	बंध शील की डूगरी(चाकसू)(जयपुर )	5.00
3	बंध बुचारा(जयपुर )	6.00
4	बंध छीतोली मय नदी लोअर व अपर (जयपुर )	5.00
5	रेवासा का सर (गैर मुमकिन झील रेवासा) ( सीकर )	5.00
6	बंध रायपुर पाटन ( सीकर )	6.00
7	बंध बरैठा मय नदी कांकड़ा ( भरतपुर )	70.00
8	बंध मासी मय नदी बाण्डी, मासी, खाराकसी जिला टोंक, जयपुर तह0 निवाई ( टोंक )	60.00
9	नदी बनास बंध बीसलपुर के नीचे से ईसरदा पुल तक गोकर्णेश्वर देह को छोड़कर जिला टोंक ( टोंक )	25.00
10	बंध गिलवानिया तह0 उनियारा, टोंक ( टोंक )	5.00
11	बंध किरावल (मालपुरा) ( टोंक )	5.00
12	बंध गोवटा घाटा (माण्डलगढ़) ( भीलवाड़ा )	20.00
13	बंध भीमपुरा ( भीलवाड़ा )	10.00
14	बंध औराई (सैचुरी एरिया छोड़कर) (चित्तौड़गढ़)	35.00
15	बंध घोसुण्डा डैम (चित्तौड़गढ़)	55.00
16	बंध रूपारेल (चित्तौड़गढ़)	9.00
17	नदी चम्बल लोवर कोटा बैराज से रंगपुर तक जिला कोटा केशोरायपाटन मंदिर क्षेत्र से 100 मीटर छोड़कर (कोटा)	5.50
18	बंध पेंच की बावड़ी (बूंदी)	9.00
19	बंध बांक्याखाल (बूंदी)	9.28
20	बंध कदीला (झालावाड़)	8.00
21	बंध मुरलीखेड़ा (झालरापाटन) (झालावाड़)	5.00
22	इन्दिरा गांधी नहर परियोजना जिला जैसलमेर	30.00
23	बंध बिलास (बारा)	12.00
24	के.पी.ड्रेन गोवर्धन ड्रेन राजस्थान सीमा तक (भरतपुर)	0.50
25	बंध बायला (टोंक)	0.10
26	बंध जानवास (टोंक)	0.10
27	नानी बीहड़ (सीकर)	0.25
28	बंध जिग जैग डेम (बून्दी)	1.00
29	बंध इन्द्रगढ़ तालाब (इन्द्रगढ़) (बून्दी)	0.22
30	नदी ब्राह्मणी बेगू से लेकर भैंसरोड़गढ़ तक सैचुरी एरिया छोड़कर (चित्तौड़गढ़)	0.75
31	बंध लखावा (कोटा)	0.16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

- 1 शासन उप सचिव, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 2 समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
- 3 आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर को 20 अतिरिक्त प्रतियों सहित प्रेषित कर अनुरोध है कि इस नीलामी निविदा विज्ञप्ति का प्रकाशन विस्तृत प्रचार हेतु एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र के सभी संस्करणों में, एक अखिल भारतीय स्तर के समाचार पत्र में तथा एक किसी ट्रेड जनरल में जो नीलामी बोलियां आमन्त्रित करने की सूचनाओं को प्रकाशित करने की विशेषज्ञता रखता हो, में नीलामी बोली विज्ञप्ति प्रकाशित कराने का श्रम कराएं।
- 4 मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 5 समस्त राज्यों के निदेशक/आयुक्त, मत्स्य विभाग को भेजकर अनुरोध है कि आपके राज्य के मत्स्य ठेकेदारों को सूचित करने का कष्ट करें।
- 6 समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद,-----को भेजकर लेख है कि आप अपने अधीन समस्त विकास अधिकारियों तथा ग्राम पंचायतों को नीलामी निविदा विज्ञप्ति से सूचित करने का श्रम करें।
- 7 संयुक्त निदेशक मत्स्य, राजस्थान, जयपुर।
- 8 सहायक निदेशक मत्स्य (योजना) राज. जयपुर
- 9 समस्त सहायक निदेशक मत्स्य,-----
- 10 समस्त मत्स्य विकास/ परियोजना अधिकारी-----
- 11 रोकड शाखा/ भण्डार शाखा/ संस्थापन निदेशालय मत्स्य, जयपुर।
- 12 श्री अजीत कुमार शर्मा को भेजकर लेख है कि उक्त अधिसूचना को आज ही विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
- 13 नोटिस बोर्ड निदेशालय, मत्स्य, राजस्थान, जयपुर/ रक्षित पत्रावली
- 14 समस्त मत्स्य ठेकेदार।

संयुक्त निदेशक मत्स्य

राजस्थान सरकार  
मत्स्य विभाग

नीलामी निविदा प्रपत्र

निविदा खोलने की दिनांक – 17.01.2018

विषय:- 'क' श्रेणी के जलाशयों के मत्स्याखेट ठेके वर्ष 2017-18 में मत्स्य नियम 1958 व संशोधित नियमों के प्रावधान अनुसार नीलामी निविदा प्रपत्र।

1- निविदादाता का नाम :- \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2- पिता/पति का नाम :- \_\_\_\_\_

3- (1) पत्र व्यवहार का पूर्ण पता मय पिन कोड :- \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

दूरभाष नम्बर - \_\_\_\_\_

मोबाइल नम्बर- \_\_\_\_\_

(2) स्थाई पता:- \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

4- संदर्भ :- नीलामी निविदा विज्ञप्ति क्रमांक:- एफ.2 (4) निम /लेखा /ठेका  
/2017-18 /17418 दिनांक:- 26.12.17

5- पता जिस पर निविदा आयुक्त मत्स्य विभाग, राज0, जयपुर।  
भेजनी है :- पशुधन भवन, गांधीनगर मोड, जयपुर।

6- नीलामी निविदा शुल्क रुपये 400/- नकद रसीद संख्या- \_\_\_\_\_

दिनांक \_\_\_\_\_ अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या \_\_\_\_\_

दिनांक \_\_\_\_\_

7- नीलामी निविदा विज्ञप्ति की शर्तानुसार जमा कराये गये/जाने वाली अमानता राशि का विवरण:-

बैंक ड्राफ्ट	क्रमांक	दिनांक	राशि
--------------	---------	--------	------

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

मत्स्य विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा जारी की गई नीलामी निविदा विज्ञप्ति क्रमांक एफ.2(4) निम/लेखा/ठेका/2017-18/17418 दिनांक 26.12.17 में वर्णित सभी शर्तें पढ ली है तथा संलग्न शर्तों पर मैंने/हमने हस्ताक्षर कर दिये है तथा मुझे/हमें सभी शर्तें मान्य है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

**राजस्थान सरकार**  
**मत्स्य विभाग**

स्टेजेज बढोतरी आधार पर जलाशयों को मत्स्याखेट हेतु ठेके पर दिये जाने के सम्बन्ध में ठेकों की निविदा शर्तः—

नीलामी निविदा शर्तें वर्ष 2017-18

- 1 प्रत्येक निविदादाता को निविदा के साथ जलाशय की आरक्षित राशि के आधार पर आरक्षित राशि की 10 प्रतिशत राशि (जलाशय के सामने अंकितानुसार) अमानता राशि जमा करानी होगी।
- 2 निविदा के लिए समय सारणी निम्न प्रकार है:—

निविदा अंतिम समय	विक्रय की दिनांक व	निविदा जमा कराने की अंतिम दिनांक व समय	निविदा खोलने की दिनांक व समय	जलाशय जिनकी निविदा मांगी जा रही हैं
दिनांक 17.01.2017 अपराह्न 1.00 तक	बजे	दिनांक 17.01.2017 अपराह्न 2.00 बजे तक	दिनांक 17.01.2017 अपराह्न 2.30 बजे	“क” प्रवर्ग के जलाशय (निविदा प्रपत्र में दिये गये विवरणानुसार)

- 3 प्रत्येक निविदादाता को निविदाओं के साथ प्रत्येक जलाशय की अलग अलग 10 प्रतिशत अमानता राशि के ड्राफ्ट जो आयुक्त मत्स्य विभाग राजस्थान जयपुर के नाम से देय होगा निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा। अमानता के लिये बैंक व लिफाफे में रखी गई राशि मान्य नहीं होगी। बिना अमानता राशि की निविदा मान्य नहीं होगी।
- 4 अमानता राशि यदि कम जमा कराई जाती है तो उस निविदा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
- 5 सभी प्रवर्ग के विनिर्दिष्ट जलाशयों को पहले से विहित प्रक्रिया के अनुसार स्टेजेज बढोतरी के आधार पर सामान्यतः 5 वर्षों की समयावधि के लिए पट्टे पर दिया जा सकेगा। पट्टेदार को प्रतिवर्ष पट्टे धन की संचयी बढ़ती रकम का संदाय करना आवश्यक होगा। ऐसी बढोतरी पूर्ववर्ती वर्ष की पट्टा रकम का 12 प्रतिशत होगी। तदनुसार आगामी वर्षों के लिए बढी हुई पट्टे (लीज) राशि का 1/4 राशि चालू वर्ष की 31 जनवरी तक बढी हुई प्रतिभूति राशि सहित जमा कराई जानी होगी तथा शेष 3/4 पट्टा (लीज) राशि 15 मार्च तक जमा कराई जानी होगी। यदि पट्टेदार उपरोक्त विहित कालावधि के भीतर पट्टा रकम जमा कराने पर असफल रहता है तो पश्चातवर्ती वर्ष के लिए मछली पकड़ने की अनुमति रद्द कर दी जायेगी तथा जलाशय को पुनः ठेके पर दिया जाएगा।
- 6 निविदादाता द्वारा दी गई सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
- 7 निविदादाता को अपनी निविदा को वापस लेने अथवा दरों में संशोधन करने का अधिकार नहीं होगा।
- 8 सफल निविदादाता को अपनी निविदा राशि की चौथान राशि (1/4 राशि) निर्देश पर उसी दिन तुरन्त जमा करानी होगी अन्यथा उनके द्वारा जमा कराई गई अमानता राशि को जप्त कर लिया जायेगा। शेष 3/4 राशि स्वीकृति जारी होने के 30 दिवस में जमा कराई जाकर कुल निविदा रकम का साठे सात प्रतिशत (7.5)की दर से प्रतिभूति राशि 3/4 राशि के साथ अथवा अनुज्ञा पत्र लेते समय जमा करवायी जाकर स्वयं उपस्थित होकर अनुबन्ध कर अनुज्ञापत्र प्राप्त करना होगा। विभाग को देय समस्त राशि आयुक्त मत्स्य, राज0 जयपुर के नाम देय बैंक ड्राफ्ट के रूप में ही स्वीकार की जाएगी। निविदादाता द्वारा जमा करवाई गई उसी जलाशय की अमानता राशि को चौथान राशि में समायोजित कर लिया जाएगा।
- 9 आयुक्त मत्स्य/निविदा समिति को किसी भी निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- 10 निविदादाता को राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान मीन अधिनियम, 1953 तथा मीन नियम 1958 व समय समय पर संशोधित नियमों के अंतर्गत बनायी गयी सभी धाराओं व नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

- 11 ठेकेदार को निविदा में अंकित जलाशयों जैसे बन्ध/नहर/तालाब/नदी आदि में पानी की सतह कम या अधिक होने या सूख जाने के कारण मछली न होने या नहीं पकड सकने के कारण तथा अन्य किसी कारण से होने वाले नुकसान आदि के लिए किसी प्रकार का हर्जा या मुआवजा प्राप्त करने हेतु किसी न्यायालय में दावा आदि करने का अधिकार नहीं होगा।
- 12 जलाशय में विभागीय परियोजनाएं यथा स्पोर्ट फिशिंग, केज/पैन कल्चर आदि प्रारम्भ की जाने पर निविदादाता तदनुसार विभागीय निर्देशों के अनुरूप कार्य करने हेतु बाध्य होगा।
- 13 निविदादाता द्वारा जलाशय अन्य किसी भी ठेकेदार को हस्तान्तरित नहीं किया जा सकेगा। अगर किसी कारणवश किसी जलाशय पर मनोनीत सदस्य नियुक्त किया जाता है तो नियमानुसार शुल्क जमा कराकर अधिकार पत्र प्राप्त करके सम्बन्धित मत्स्य अधिकारी/क्षेत्रीय उप निदेशक मत्स्य/आयुक्त मत्स्य को उसकी प्रमाणित फोटो प्रति प्रेषित कर मनोनयन हेतु सक्षम अधिकारी की मान्यता प्राप्त करेगा अन्यथा अधिकार पत्र न होने की दशा में जलाशय पर मत्स्याखेट अवैधानिक माना जाकर जब्ती की कार्यवाही की जाएगी।
- 14 पंजीकृत मत्स्य सहकारी समितियों की ओर से केवल समिति के प्रस्ताव पर मनोनीत सदस्यों को निविदा देने का अधिकार होगा। इन्हें प्रमाणित दस्तावेज निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा अन्यथा मांगने पर प्रस्तुत करना होगा इसके बाद ही 5 प्रतिशत कीमत अधिमान् का लाभ देय होगा। कम्पनी/फर्म या अन्य संस्थाओं के मामले में भी संस्था अध्यक्ष/एम.डी./सी.ई.ओ./ई.डी./प्रोपराइटर/पार्टनर आदि अधिकृत व्यक्ति को प्रमाणित दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
- 15 अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्त होने पर सम्बन्धित निविदादाता को जलाशय का मूल अनुज्ञा पत्र व समस्त लेबर परमिट तथा पाक्षिक पकडी गई मछली के ब्यौरे वाला प्रपत्र आदि आयुक्त मत्स्य विभाग राजस्थान जयपुर को जमा कराने होंगे।
- 16 यदि किसी जलाशय के लिए विशेष निविदा शर्त उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त होगी या निविदा शर्तों में कोई संशोधन/परिवर्धन होगा तो निविदा खोलने के पूर्व कमेटी द्वारा घोषित कर अंकित कर दी जाएगी।
- 17 राजस्थान मत्स्य क्षेत्र (संशोधित नियम 1991) के प्रारूप 3 की शर्त संख्या 6 व प्रारूप (3) (1) की शर्त संख्या-8 के अनुसार निविदाएं आमंत्रित करके/नीलामी के द्वारा दी गई अनुज्ञप्ति प्रतिवर्ष जारी किये जाने की तारीख से 31 मार्च तक प्रवृत्त रहेगी।
- 18 सफल निविदादाता द्वारा चौथान राशि जमा कराने के बाद ही अन्य निविदादाताओं को धरोहर राशि लौटाई जाएगी।
- 19 निविदा खोलने के बाद किसी प्रकार की निविदा एवं तार व पत्र मान्य नहीं होगा। तार द्वारा दी गई निविदा मान्य नहीं होगी।
- 20 निविदादाता को निविदा प्रपत्र में अपना सही पता अंकित करना होगा। संपूर्ण पते के अभाव में यदि कोई पत्रादि/सूचना निविदादाता के पास नहीं पहुंचेगी तो विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 21 अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने के बाद सम्बन्धित मत्स्य अधिकारी से लेबर परमिट प्राप्त करना होगा तथा मछली पकडने का कार्य प्रारम्भ करने व बन्द करने की सूचना पूर्व में ही संबन्धित मत्स्य अधिकारी को लिखित में देनी होगी।
- 22 जलाशय में मत्स्य बीज, खाद आदि का संग्रहण सम्बन्धित मत्स्य विकास अधिकारी से प्रमाणित कराकर उनकी उपस्थिति में किया जाकर प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। मत्स्य बीज संग्रहण ठेकेदार द्वारा आवश्यक रूप से केवल दिन के उजाले में ही किया जाएगा। बीज संग्रहण किये जाने की पूर्व सूचना ठेकेदार को संबन्धित जिला मत्स्य अधिकारी को कम से कम दो दिन पूर्व देनी होगी। संबन्धित अधिकारी से प्रमाणित कराए बिना ठेकेदार द्वारा किया गया मत्स्य बीज संग्रहण मान्य नहीं होगा। जलाशय में मत्स्य बीज संचय करने की अनुमानित संख्या ठेकेदार को अनुबंध/अनुज्ञापत्र जारी करते समय सूचित कर दी जाएगी। अनुमोदित मत्स्य बीज जलाशय में संचय नहीं करने की स्थिति में ठेका/अनुज्ञापत्र निरस्त करने के लिए विभाग स्वतंत्र होगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
- 23 चालू वर्ष के ठेके की राशि एवं आगामी वर्ष के लिए नवीनीकरण की राशि मय प्रतिभूति राशि जमा कराने के लिए पृथक से सूचित नहीं किया जाएगा। निर्धारित समय पर राशि जमा नहीं कराने के लिये ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 24 मेरे द्वारा सभी निविदा शर्तें स्वीकार की गईं और मैं विभाग के साथ मेरे द्वारा किये गये अनुबंध का भाग मानी जाएगी।
- 25 निवास स्थान का पता एवं नाम जो भी निविदा पत्र में अंकित किया जायेगा उसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 26 स्टाम्प एक्ट के आर्टिकल के तहत पंजीयन शुल्क देय होगा तो उसका भुगतान पट्टेदार को देना होगा।
- 27 नीलामी के पश्चात यदि राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा कोई कर/सर्विस टैक्स मत्स्याखेट पर आरोपित किया जाता है तो उसे स्वीकृत बोलीदाता द्वारा अलग से देय होगा।
- 28 जलाशय के प्रभावी जलक्षेत्र का 5 प्रतिशत विभाग/राज्य सरकार से संबन्धित कार्यों, आर. एण्ड डी. एवं केज कल्चर के लिए केजेज स्थापित करने का सम्मिलित करते हुए आरक्षित रहेगा।
- 29 मैंने/हम निविदादाताओं ने राजकीय मछली ठेकों की निविदा की उपरोक्त सभी शर्तें पढ़ ली हैं। उक्त सभी शर्तें मुझे/हमें मान्य हैं, तथा मंजूरी के हस्ताक्षर मैंने/हमने अपनी राजी-खुशी बिना किसी दबाव के पूर्ण होशो-हवास में किये हैं तथा मुझे/हमें पूर्ण रूप से सभी शर्तें मान्य हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर

राजस्थान सरकार

मत्स्य विभाग

मत्स्याखेट वर्ष 2017-18 में राजस्थान मीन नियम 1958 के संशोधित नियम वर्ष 1997 एवं वर्ष 2003 के नियम 5 (1) (ड.) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट 'क' श्रेणी के जलाशयों हेतु दर अंकित करने हेतु तालिका :-

क्र.सं.	जलाशय का नाम	वर्ष 2017-18 के लिए निर्धारित आरक्षित राशि (लाख रुपये में)	अमानता राशि जो जमा की जानी है (रुपयो में)	पाँच वर्षों के लिए स्टेजेज बढ़ोतरी के आधार पर लेने हेतु प्रथम वर्ष के लिए निविदत्त राशि	
				अंकों में	शब्दों में
	जिला जयपुर				
1	बंध रामगढ़ मय नदी बाणगंगा अस्थल की पुलिया तक	5.00	<b>50,000</b>		
2	बंध शील की डूंगरी (चाकसू)	5.00	<b>50,000</b>		
3	बंध बुचारा	6.00	<b>60,000</b>		
4	बंध छीतोली मय नदी लोअर व अपर	5.00	<b>50,000</b>		
	जिला सीकर				
5	रेवासा का सर (गैर मुमकिन झील रेवासा)	5.00	<b>50,000</b>		
6	बंध रायपुर पाटन	6.00	<b>60,000</b>		
	जिला कोटा				
7	नदी चम्बल लोवर कोटा बैराज से रंगपुर तक जिला कोटा केशोरायपाटन मंदिर क्षेत्र से 100 मीटर छोड़कर	5.50	<b>55,000</b>		
	जिला भरतपुर				
8	बंध बरैठा मय नदी कांकड़ा	70.00	<b>7,00,000</b>		
	जिला टोंक				
9	बंध मासी मय नदी बाण्डी, मासी, खाराकसी जिला टोंक, जयपुर तह0 निवाई	60.00	<b>6,00,000</b>		

निविदादाता के हस्ताक्षर

क्र.सं.	जलाशय का नाम	वर्ष 2017-18 के लिए निर्धारित आरक्षित राशि (लाख रुपये में)	अमानता राशि जो जमा की जानी है (रुपयो में)	पाँच वर्षों के लिए स्टेजेज बढ़ोतरी के आधार पर लेने हेतु प्रथम वर्ष के लिए निविदत्त राशि	
				अंकों में	शब्दों में
	जिला टोंक				
10	नदी बनास बंध बीसलपुर के नीचे से ईसरदा पुल तक गोकर्णेश्वर देह को छोड़कर जिला टोंक	25.00	<b>2,50,000</b>		
11	बंध गिलवानिया तह0 उनियारा, टोंक	5.00	<b>50,000</b>		
12	बंध किरावल (मालपुरा)	5.00	<b>50,000</b>		
	जिला भीलवाड़ा				
13	बंध गोवटा घाटा (माण्डलगढ़)	20.00	<b>2,00,000</b>		
14	बंध भीमपुरा	10.00	<b>1,00,000</b>		
	जिला चित्तौड़गढ़				
15	बंध रूपारेल	9.00	<b>90,000</b>		
16	बंध औराई (सैंचुरी एरिया छोड़कर)	35.00	<b>3,50,000</b>		
17	बंध घासुण्डा डैम	55.00	<b>5,50,000</b>		

निविदादाता के हस्ताक्षर

क्र.सं.	जलाशय का नाम	वर्ष 2017-18 के लिए निर्धारित आरक्षित राशि (लाख रुपये में)	अमानता राशि जो जमा की जानी है (रुपयो में)	पाँच वर्षों के लिए स्टेजेज बढ़ोतरी के आधार पर लेने हेतु प्रथम वर्ष के लिए निविदत्त राशि	
				अंकों में	शब्दों में
	जिला झालावाड़				
18	बंध कदीला	8.00	<b>80,000</b>		
19	बंध मुरलीखेड़ा (झालरापाटन)	5.00	<b>50,000</b>		
	जिला बूंदी				
20	बंध पेंच की बावड़ी	9.00	<b>90,000</b>		
21	बंध बांक्याखाल	9.28	<b>92,800</b>		
	जिला जैसलमेर				
22	इन्दिरा गांधी नहर परियोजना आर डी 1080 बोराना गांव स्केप चैनल 1120.20 डिप्रेशन स्केप चैनल बोरोपिटस आर डी 1356 स्केप चैनल डिप्रेशन मोहनगढ नहर आर डी 1458 मय स्केप चैनल सदराऊ स्केप चैनल डिप्रेशन सागरमल गोपा शाखा आर0डी0 47 डिप्रेशन (डिग्गा सुल्ताना) बाबा रामदेव शाखा आर0डी0 140 डिप्रेशन, आर0डी0 277 डिप्रेशन (लूनार-गुंजनगढ) आर0डी0 345 डिप्रेशन (करडा- पोचीना), डिप्रेशनों के साथ ही मुख्य नहर, इसकी समस्त शाखाएँ, वितरिकाएँ, मय लिफ्ट नाल, नहर के आस-पास सीपेज क्षेत्र। जिला जैसलमेर, बाडमेर, जोधपुर, जिला जैसलमेर	30.00	<b>3,00,000</b>		
	जिला बांरा				
23	बंध बिलास	12.00	<b>1,20,000</b>		

निविदादाता के हस्ताक्षर



राजस्थान सरकार  
मत्स्य विभाग

नीलामी निविदा प्रपत्र

निविदा खोलने की दिनांक – 17.01.2018

विषय:- 'ख' श्रेणी के जलाशयों /नदियों/नहरों एवं नगर निगम/ नगर परिषद/ नगरपालिका सीमा में आने वाले 'ख','ग' व 'घ' श्रेणी के जलाशयों को मत्स्याखेट ठेके वर्ष 2017-18 में मत्स्य नियम 1958 व संशोधित नियमों के प्रावधान अनुसार नीलामी निविदा प्रपत्र।

1- निविदादाता का नाम :- \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2- पिता/पति का नाम :- \_\_\_\_\_

3- (1) पत्र व्यवहार का पूर्ण पता मय पिन कोड :- \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

दूरभाष नम्बर - \_\_\_\_\_

मोबाइल नम्बर- \_\_\_\_\_

(2) स्थाई पता:- \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

4- संदर्भ :- नीलामी निविदा विज्ञप्ति क्रमांक:- एफ.2 (4) निम /लेखा /टेका  
/2017-18/17418 दिनांक:- 26.12.17

5- पता जिस पर निविदा आयुक्त मत्स्य विभाग, राज0, जयपुर।  
भेजनी है :- पशुधन भवन, गांधीनगर मोड़, जयपुर।

6- नीलामी निविदा शुल्क रुपये 400/- नकद रसीद संख्या- \_\_\_\_\_

दिनांक \_\_\_\_\_अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या- \_\_\_\_\_

दिनांक \_\_\_\_\_

7- नीलामी निविदा विज्ञप्ति की शर्तानुसार जमा कराये गये/जाने वाली अमानता राशि का विवरण:-

बैंक ड्राफ्ट	क्रमांक	दिनांक	राशि
--------------	---------	--------	------

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

मत्स्य विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा जारी की गई नीलामी निविदा विज्ञप्ति क्रमांक एफ. 2(4)निम/लेखा/टेका/2017-18/17418 दिनांक 26.12.17 में वर्णित सभी शर्तें पढ़ ली हैं तथा संलग्न शर्तों पर मैंने/हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा मुझे/हमें सभी शर्तें मान्य हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर

**राजस्थान सरकार**  
**मत्स्य विभाग**

स्टेजेज बढ़ोतरी आधार पर जलाशयों को मत्स्याखेट हेतु ठेके पर दिये जाने के सम्बन्ध में ठेकों की निविदा शर्तें:-

नीलामी निविदा शर्तें वर्ष 2017-18

- 1 प्रत्येक निविदादाता को निविदा के साथ जलाशय की आरक्षित राशि के आधार पर आरक्षित राशि की 10 प्रतिशत राशि (जलाशय के सामने अंकितानुसार) अमानता राशि जमा करानी होगी।
- 2 निविदा के लिए समय सारणी निम्न प्रकार है:-

निविदा अंतिम दिनांक व समय	विक्रय की व	निविदा जमा कराने की अंतिम दिनांक व समय	निविदा खोलने की दिनांक व समय	जलाशय जिनकी निविदा मांगी जा रही हैं
17.01.2018 दोपहर 1.00 तक	बजे	17.01.2018 दोपहर 2.00 तक	17.01.2018 दोपहर 2.30 बजे	'ख', 'ग' एवं 'घ' प्रवर्ग के जलाशय (निविदा प्रपत्र में दिये गये विवरणानुसार)

- 3 प्रत्येक निविदादाता को निविदाओं के साथ प्रत्येक जलाशय की अलग अलग 10 प्रतिशत अमानता राशि के ड्राफ्ट जो आयुक्त मत्स्य विभाग राजस्थान जयपुर के नाम से देय होगा निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा। अमानता के लिये चैक व लिफाफे में रखी गई राशि मान्य नहीं होगी। बिना अमानता राशि की निविदा मान्य नहीं होगी।
- 4 अमानता राशि यदि कम जमा कराई जाती है तो उस निविदा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
- 5 सभी प्रवर्ग के विनिर्दिष्ट जलाशयों को पहले से विहित प्रक्रिया के अनुसार स्टेजेज बढ़ोतरी के आधार सामान्यतः 5 वर्षों की समयावधि के लिए पट्टे पर दिया जा सकेगा। पट्टेदार को प्रतिवर्ष पट्टे धन की संचयी बढ़ती रकम का संदाय करना आवश्यक होगा। ऐसी बढ़ोत्तरी पूर्ववर्ती वर्ष की पट्टा रकम का 12 प्रतिशत होगी। शेष तदनुसार आगामी वर्षों के लिए बढी हुई पट्टे (लीज) राशि का 1/4 राशि चालू वर्ष की 31 जनवरी तक बढी हुई प्रतिभूति राशि सहित जमा कराई जानी होगी तथा शेष 3/4 पट्टा (लीज) राशि 15 मार्च तक जमा कराई जानी होगी। यदि पट्टेदार उपरोक्त विहित कालावधि के भीतर पट्टा रकम जमा कराने पर असफल रहता है तो पश्चातवर्ती वर्ष के लिए मछली पकड़ने की अनुमति रद्द कर दी जायेगी तथा जलाशय को पुनः ठेके पर दिया जाएगा।
- 6 निविदादाता द्वारा दी गई सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
- 7 निविदादाता को अपनी निविदा को वापस लेने अथवा दरों में संशोधन करने का अधिकार नहीं होगा।
- 8 सफल निविदादाता को अपनी निविदा राशि की चौथान राशि (1/4 राशि) निर्देश पर उसी दिन तुरन्त जमा करानी होगी अन्यथा उनके द्वारा जमा कराई गई अमानता राशि को जप्त कर लिया जायेगा। शेष 3/4 राशि स्वीकृति जारी होने के 30 दिवस में जमा कराई जाकर कुल निविदा रकम का साढे सात प्रतिशत (7.5)की दर से प्रतिभूति राशि 3/4 राशि के साथ अथवा अनुज्ञापत्र लेते समय जमा करवायी जाकर स्वयं उपस्थित होकर अनुबन्ध कर अनुज्ञापत्र प्राप्त करना होगा। विभाग को देय समस्त राशि आयुक्त मत्स्य, राज0 जयपुर के नाम देय बैंक ड्राफ्ट के रूप में ही स्वीकार की जाएगी। निविदादाता द्वारा जमा करवाई गई उसी जलाशय की अमानता राशि को चौथान राशि में समायोजित कर लिया जाएगा।
- 9 आयुक्त मत्स्य/निविदा समिति को किसी भी निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- 10 निविदादाता को राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान मीन अधिनियम, 1953 तथा मीन नियम 1958 व समय समय पर संशोधित नियमों के अंतर्गत बनायी गयी सभी धाराओं व नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

- 11 ठेकेदार को निविदा में अंकित जलाशयों जैसे बन्ध/नहर/तालाब/नदी आदि में पानी की सतह कम या अधिक होने या सूख जाने के कारण मछली न होने या नहीं पकड़ सकने के कारण तथा अन्य किसी कारण से होने वाले नुकसान आदि के लिए किसी प्रकार का हर्जा या मुआवजा प्राप्त करने हेतु किसी न्यायालय में दावा आदि करने का अधिकार नहीं होगा।
- 12 जलाशय में विभागीय परियोजनाएं यथा स्पोर्ट फिशिंग, केज/पैन कल्चर आदि प्रारम्भ की जाने पर निविदादाता तदनुसार विभागीय निर्देशों के अनुरूप कार्य करने हेतु बाध्य होगा।
- 13 निविदादाता द्वारा जलाशय अन्य किसी भी ठेकेदार को हस्तान्तरित नहीं किया जा सकेगा। अगर किसी कारणवश किसी जलाशय पर मनोनीत सदस्य नियुक्त किया जाता है तो नियमानुसार शुल्क जमा कराकर अधिकार पत्र प्राप्त करके सम्बन्धित मत्स्य अधिकारी/क्षेत्रीय उप निदेशक मत्स्य/आयुक्त मत्स्य को उसकी प्रमाणित फोटो प्रति प्रेषित कर मनोनयन हेतु सक्षम अधिकारी की मान्यता प्राप्त करेगा अन्यथा अधिकार पत्र न होने की दशा में जलाशय पर मत्स्याखेट अवैधानिक माना जाकर जब्ती की कार्यवाही की जाएगी।
- 14 पंजीकृत मत्स्य सहकारी समितियों की ओर से केवल समिति के प्रस्ताव पर मनोनीत सदस्यों को निविदा देने का अधिकार होगा। इन्हें प्रमाणित दस्तावेज निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा अन्यथा मांगने पर प्रस्तुत करना होगा इसके बाद ही 5 प्रतिशत कीमत अधिमान् का लाभ देय होगा। कम्पनी/फर्म या अन्य संस्थाओं के मामले में भी संस्था अध्यक्ष/एम.डी./सी.ई.ओ./ ई.डी./प्रोपराइटर/पार्टनर आदि अधिकृत व्यक्ति को प्रमाणित दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
- 15 अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्त होने पर सम्बन्धित निविदादाता को जलाशय का मूल अनुज्ञा पत्र व समस्त लेबर परमिट तथा पाक्षिक पकड़ी गई मछली के ब्यौरे वाला प्रपत्र आदि आयुक्त मत्स्य विभाग राजस्थान जयपुर को जमा कराने होंगे।
- 16 यदि किसी जलाशय के लिए विशेष निविदा शर्त उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त होगी या निविदा शर्तों में कोई संशोधन/परिवर्धन होगा तो निविदा खोलने के पूर्व कमेटी द्वारा घोषित कर अंकित कर दी जाएगी।
- 17 राजस्थान मत्स्य क्षेत्र (संशोधित नियम 1991) के प्रारूप 3 की शर्त संख्या 6 व प्रारूप (3) (1) की शर्त संख्या-8 के अनुसार निविदाएं आमंत्रित करके/नीलामी के द्वारा दी गई अनुज्ञप्ति प्रतिवर्ष जारी किये जाने की तारीख से 31 मार्च तक प्रवृत्त रहेगी।
- 18 सफल निविदादाता द्वारा चौथान राशि जमा कराने के बाद ही अन्य निविदादाताओं को धरोहर राशि लौटाई जाएगी।
- 19 निविदा खोलने के बाद किसी प्रकार की निविदा एवं तार व पत्र मान्य नहीं होगा। तार द्वारा दी गई निविदा मान्य नहीं होगी।
- 20 निविदादाता को निविदा प्रपत्र में अपना सही पता अंकित करना होगा। संपूर्ण पते के अभाव में यदि कोई पत्रादि/सूचना निविदादाता के पास नहीं पहुंचेगी तो विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 21 अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने के बाद सम्बन्धित मत्स्य अधिकारी से लेबर परमिट प्राप्त करना होगा तथा मछली पकड़ने का कार्य प्रारम्भ करने व बन्द करने की सूचना पूर्व में ही संबन्धित मत्स्य अधिकारी को लिखित में देनी होगी।
- 22 जलाशय में मत्स्य बीज, खाद आदि का संग्रहण सम्बन्धित मत्स्य विकास अधिकारी से प्रमाणित कराकर उनकी उपस्थिति में किया जाकर प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। मत्स्य बीज संग्रहण ठेकेदार द्वारा आवश्यक रूप से केवल दिन के उजाले में ही किया जाएगा। बीज संग्रहण किये जाने की पूर्व सूचना ठेकेदार को संबन्धित जिला मत्स्य अधिकारी को कम से कम दो दिन पूर्व देनी होगी। संबन्धित अधिकारी से प्रमाणित कराए बिना ठेकेदार द्वारा किया गया मत्स्य बीज संग्रहण मान्य नहीं होगा। जलाशय में मत्स्य बीज संचय करने की अनुमानित संख्या ठेकेदार को अनुबंध/अनुज्ञापत्र जारी करते समय सूचित कर दी जाएगी। अनुमोदित मत्स्य बीज जलाशय में संचय नहीं करने की स्थिति में ठेका/अनुज्ञापत्र निरस्त करने के लिए विभाग स्वतंत्र होगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
- 23 चालू वर्ष के ठेके की राशि एवं आगामी वर्ष के लिए नवीनीकरण की राशि मय प्रतिभूति राशि जमा कराने के लिए पृथक से सूचित नहीं किया जाएगा। निर्धारित समय पर राशि जमा नहीं कराने के लिये ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 24 मेरे द्वारा सभी निविदा शर्तें स्वीकार की गईं और मैं विभाग के साथ मेरे द्वारा किये गये अनुबंध का भाग मानी जाएगी।
- 25 निवास स्थान का पता एवं नाम जो भी निविदा पत्र में अंकित किया जायेगा उसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 26 स्टाम्प एक्ट के आर्टिकल के तहत पंजीयन शुल्क देय होगा तो उसका भुगतान पट्टेदार को देना होगा।
- 27 नीलामी के पश्चात यदि राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा कोई कर/सर्विस टैक्स मत्स्याखेट पर आरोपित किया जाता है तो उसे स्वीकृत बोलीदाता द्वारा अलग से देय होगा।
- 28 जलाशय के प्रभावी जलक्षेत्र का 5 प्रतिशत विभाग/राज्य सरकार से संबन्धित कार्य, आर0 एण्ड डी. एवं केज कल्चर के लिए केजेज स्थापित करने का सम्मिलित करते हुए आरक्षित रहेगा।
- 29 मैंने/हम निविदादाताओं ने राजकीय मछली ठेकों की निविदा की उपरोक्त सभी शर्तें पढ़ ली हैं। उक्त सभी शर्तें मुझे/हमें मान्य हैं, तथा मंजूरी के हस्ताक्षर मैंने/हमने अपनी राजी-खुशी बिना किसी दबाव के पूर्ण होशो-हवास में किये हैं तथा मुझे/हमें पूर्ण रूप से सभी शर्तें मान्य हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर

राजस्थान सरकार  
मत्स्य विभाग

मत्स्याखेट वर्ष 2017-18 में राजस्थान मीन नियम 1958 के संशोधित नियम वर्ष 1997 एवं वर्ष 2003 के नियम 5 (1) (ड.) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट 'ख', 'ग' व 'घ' प्रवर्ग के जलाशयों / नदियों/नहरों एवं नगर निगम/ नगर परिषद/ नगरपालिका सीमा में आने वाले 'ख', 'ग' व 'घ' श्रेणी के जलाशयों हेतु दर अंकित करने हेतु तालिका :-

क्रम सं०	जलाशय का नाम	वर्ष 2017-18 के लिए निर्धारित आरक्षित राशि (लाख रुपये में)	अमानता राशि जो जमा की जानी है (रुपये में)	पाँच वर्षों के लिए स्टेजेज बढ़ोतरी के आधार पर लेने हेतु प्रथम वर्ष के लिए निविदत्त राशि	
				अंकों में	शब्दों में
	जिला भरतपुर				
1	के.पी.ड्रेन गोवर्धन ड्रेन राजस्थान सीमा तक	0.50	5,000		
	जिला टोंक				
2	बंध बायला	0.10	1,000		
3	बंध जानवास	0.10	1,000		
	जिला सीकर				
4	नानी बीहड़	0.25	2,500		
	जिला बून्दी				
5	बंध जिग जैग डेम	1.00	10,000		
6	बंध इन्द्रगढ़ तालाब (इन्द्रगढ़)	0.22	2,200		
	जिला कोटा				
7	बंध लखावा	0.16	1,600		
	जिला चित्तौड़गढ़				
8	नदी ब्राह्मणी बेगू से लेकर भैंसरोड़गढ़ तक सैंचुरी एरिया छोड़कर	0.75	7,500		

निविदादाता के हस्ताक्षर